प्रेम से पराये भी अपने बन जाते है।

– अज्ञात

इलेक्शन मोड़ में त्रिवेन्द्र सरकार

दिल्ली के चुनावी नतीजों के मद्देनजर यह मथंन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि 2022 में वोट काम पर ही मिलेगा नाम के सहारे उनकी नैय्या पार नहीं होने वाली है।

रमा जोशी।

सूबे की त्रिवेन्द्र सरकार अगले माह अपने शासन के तीन साल पूरे करने जा रही है। तीन सालों में क्या कुछ किया? और अब अगले शेष बचे दो साल में क्या किया जा सकता है? या क्या करना है? जैसे सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज सीएम आवास पर मंत्रियों व विधायकों की बैठक में मथंन किया गया। दिल्ली के चुनावी नतीजों के मद्देनजर यह मथंन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि 2022 में वोट काम पर ही मिलेगा नाम के सहारे उनकी नैय्या पार नहीं होने वाली है।

मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उनकी सरकार द्वारा पलायन रोकने के लिए गठित किये गये पलायन आयोग को बड़ी उपलब्धि बताया है। बैठक में सीएम ने अपनी 57 फीसदी घोषणाओं पर काम किये जाने को भी उपलब्धि बताया गया।

बैठक में सभी मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड चौक किये जा रहे है कि किसने क्या क्या किया और क्या क्या किया जाना शेष है तथा उनके काम करने में उन्हे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सभी कुछ शामिल है।

हर एक मंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है।

भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में जो वायदे किये गये थे उन पर कितना काम हुआ और अभी क्या क्या शेष है। मंत्रियों और विधायकों के साथ अधिकारियों का कैसा सामन्जस्य है। साथी ही सरकार के जो दो साल शेष बचे है उसमें क्या क्या काम किये जाने चाहिए? और किस काम को और अधिक बेहतर तरीके से किया जा सकता है? इस का खाका भी इस मंथन के जरिए तैयार किया जा रहा है।

बैठक में मौजूद अधिकारी सभी सवालों को सूचीबद्ध कर रहे है तथा मुख्य सचिव इस पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। शाम तक चलने वाली इस मैराथन बैठक से क्या क्या निकलता है यह तो समय ही बतायेगा लेकिन विधायक व मंत्री इसे संवाद का जरिया जरूर मान रहे है।

दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद इलैक्शन मोड पर आयी भाजपा सरकार सर्तक जरूर हो गयी है और वह 2022 के चुनाव में जाने से पहले जनता को दिखाने के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुट गयी है क्योंकि उसे पता है कि इस बार नाम के सहारे नैय्या पार लगने वाली नहीं है चुनाव जीतना है तो काम भी करना पड़ेगा।

विचार

अशोक वोहरा।

यह विचार एक वक्त मूर्खतापूर्ण माना जाता, लेकिन गांधी ने इसे आजमाया और साबित किया।

गांधी की हत्या करने वाले शख्स ने भी बंदूक की सहारा लिया और उसे लगा कि गांधी खत्म हो गए। हो सकता है, डंडे के साथ चलने वाला महात्मा खत्म हो गया हो लेकिन आज सारी दुनिया महात्मा के विचारों को समझ रही है। उस महात्मा के प्रयोगों पर लोग शोध कर रहे हैं, जिसने जो भी गलती की, उसे स्वीकार किया। गांधी एक नाम से बढ़कर महात्मा तब हो गए, जब पूरा भारत उनके पीछे चल पड़ा। गांधी महात्मा तब तक रहेंगे, जब तक एक इंसान भी उनके आदर्शों पर चल रहा है, उन्हें समझ रहा है, पढ़ रहा है।

धर्म-दर्शन

संपादकीय

सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल

पता नहीं, दिल्ली के लोग कैसे भूल गए कि जब 18 सितंबर 2016 को उड़ी में 16 जवान शहीद हो गए थे तो हमारे देश की सेना से बदला लिए जाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के विडियो मांगे गए थे। क्या दिल्लीवालों को यह भी नहीं याद रहा कि उस समय केजरीवाल ने वही भाषा बोली थी, जो पाकिस्तान बोल रहा था और केजरीवाल के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद पाकिस्तान के समाचार पत्रों ने उसे फ्रंट पेज पर छापा था। और तो और केजरीवाल को लेकर पाकिस्तान के चैनलों पर लंबी बहस छिड़ गई थी। मैं कुछ मूर्खों की तरह यह कतई नहीं कहता कि केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के पीछे उनकी मंशा पाकिस्तान को किसी तरह का लाभ पहुंचाने की थी लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले में इतनी संवेदनशीलता तो होनी ही चाहिए कि वह कम से कम कुछ ऐसा ना बोले जिसका लाभ दुश्मन देश उठा लें। पता नहीं दिल्ली के लोग इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि शाहीन बाग में इसी आम आदमी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के द्वारा हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। याद है! शाहीन बाग में फायरिंग करने वाला शख्स 'जय श्री राम', 'हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी।' और 'हमारा देश हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है' जैसी बातें बोल रहा था तो पूरे सोशल मीडिया पर आरएसएस और राष्ट्रवाद के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गए था। वह तो भला हो दिल्ली पुलिस का कि उसने वे तस्वीरें निकाल लीं, जिनसे पता लगा कि वह तो आप के कई बड़े नेताओं का करीबी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर 'हिंदू आतंकवाद' का सिद्धांत राष्ट्रवाद पर हावी हो जाता।

नए बदलाव के तहत अमेरिका में भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से होने वाले आयात में अड़ंगा लगेगा और इसका वॉल्यूम घटेगा।

नए बदलाव के तहत...

प्रेम भट्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसी महीने भारत आ रहे हैं, लेकिन उनकी इस बहुप्रतीक्षित यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी प्रशासन ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इस फैसले के तहत अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है।

खबर सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि अमेरिका से होने वाले भारतीय निर्यात को अब इस जांच से गुजरना होगा कि उसके निर्माण और निर्यात में सरकारी सब्सिडी का कोई खास योगदान तो नहीं है। अभी तक विकासशील देशों से आई चीजों को वहां न सिर्फ इस जांच से छूट हासिल थी, बल्कि 2 प्रतिशत तक सरकारी सहायता पर कोई एतराज भी नहीं था।

नए बदलाव के तहत अमेरिका में भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से होने वाले आयात में अड़ंगा लगेगा और इसका वॉल्यूम घटेगा। नए मानकों के मुताबिक अमेरिका इन चार तरह के देशों को विकासशील नहीं मानेगा– जो ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) के सदस्य हों या उसकी सदस्यता

चाहते हों, जो जी–20 के सदस्य हों, विश्व बैंक जिन्हें ऊंची आय वाले देशों की श्रेणी में रखता हो, और विश्व व्यापार में जिनकी भागीदारी 0.5 फीसदी से ज्यादा हो।

भारत को जी–20 का सदस्य होने और विश्व व्यापार में तय सीमा से ज्यादा भागीदारी रखने के दो आधारों पर विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी 1.67 फीसदी और वैश्विक आयात में 2.57 फीसदी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह उन तमाम देशों से बहुत पीछे है, जिनकी विश्व व्यापार में भागीदारी अपने छोटे आकार के कारण काफी कम है। जाहिर है, व्यापार के मामले में ऐसी अड़ंगेबाजी से दुनिया में गरीबी और असमानता कम करने के उद्देश्यों को नुकसान हो सकता है। जहां तक भारत की बात है, ट्रंप सरकार के इस फैसले के अलावा एक और बाहरी कारक यहां पहले से जारी स्लोडाउन को और बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते वहां व्यापारिक गतिविधियों में आया ठहराव भारत के कई उद्यमों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। भारतीय निर्यात का एक बड़ा हिस्सा उन वस्तुओं का है जिनके उत्पादन में कुछ न कुछ भूमिका चीन से मंगाई गई चीजों की भी होती है। उनकी सप्लाई लाइन अचानक बाधित होने का असर जल्द ही भारत के निर्यात और सकल उत्पादन पर दिखाई पड़ सकता है।

भारत अपना सबसे ज्यादा आयात चीन से करता है और सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को। इनमें चीन से जुड़ी समस्या आने वाले दिनों में कम होती जाएगी, लेकिन अमेरिका की नई गाइडलाइन भारत के लिए स्थायी सिरदर्द बनी रहेगी। ट्रंप खुद को भारत का मित्र कहते नहीं थकते, अपने चुनाव अभियान में भी इस छवि का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन भारतीय हितों को लेकर औपचारिक संवेदनशीलता भी नहीं दिखाते। उनकी भारत यात्रा में इस मुद्दे पर बातचीत होनी ही चाहिए।

सूडोकु नवताल-5252

सरल

		2				1		
				2	5	7	3	
	9	4		6	7			2
	5		4		3			9
	8			9			7	
1			6		8		2	
6			7	4		9	5	
	4	5	8	3				
		8				6		

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5251 का हल

9	1	6	2	3	7	4	5	8
8	2	3	4	5	9	1	7	6
4	5	7	1	6	8	3	9	2
5	6	8	7	1	2	9	3	4
1	7	4	9	8	3	2	6	5
2	3	9	5	4	6	8	1	7
7	4	1	8	9	5	6	2	3
3	8	5	6	2	1	7	4	9
6	9	2	3	7	4	5	8	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग

अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई

मोहन। रिव्यू खारिज होने के बाद किसी भी मुजरिम ने डेढ़ साल तक न तो क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की और न ही मर्सी पिटिशन। फिर निर्भया के पैरेंट्स ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई कि गुनहगारों को फांसी आखिर कब होगी, तो अदालत ने जेल अथॉरिटी से जवाब दाखिल करने को कहा। इसी दौरान जेल अथॉरिटी ने नवंबर 2019 में मुजरिमों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया कि उन्हें जो भी कानूनी उपचार करना है वे कर लें। जबकि रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद ही उनसे कहा जाना चाहिए था कि उनके पास जो भी कानूनी उपचार बचा हुआ है उसका इस्तेमाल वे सात दिन में कर लें। सवाल उठा कि आखिर क्यूरेटिव और मर्सी पिटिशन दायर करने की समय सीमा क्यों नहीं है। मौजूदा कानूनी प्रावधान के मुताबिक क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। यही कारण है कि अभी तक इस मामले में क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका का ऑप्शन बचा हुआ था।